

हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रशासकीय परिषद की दिनांक  
26/09/07 को सम्पन्न हुयी 67वीं बैठक का कार्यवृत्त :

बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थित हुये :-

1. मा० श्री सदल प्रसाद अध्यक्ष  
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
प्राविधिक शिक्षा विभाग  
उ०प्र० भासन, सचिवालय, लखनऊ  
एवं  
अध्यक्ष-प्रशासकीय परिषद्  
एच०बी०टी०आई०, कानपुर।
2. श्री शंकर अग्रवाल उपाध्यक्ष  
प्रमुख सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा विभाग  
उत्तर प्रदेश भासन, सचिवालय, लखनऊ  
एवं  
उपाध्यक्ष-प्रशासकीय परिषद्  
एच०बी०टी०आई०, कानपुर।
3. प्रो० प्रेमव्रत सदस्य  
कुलपति,  
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय,  
सीतापुर रोड, लखनऊ।
4. प्रो० आनन्द मोहन सदस्य  
आचार्य, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग  
आई०टी०, बी०एच०यू०,  
वाराणसी।
5. श्रीमती ऊशा बिरजी सदस्य  
निदेशक,  
प्राविधिक शिक्षा विभाग  
उत्तर प्रदेश।
6. श्री शेर सिंह पाल सदस्य  
कौशलपुरी  
हरदोई।
7. प्रो० वी०के० जैन, सदस्य  
आचार्य,  
बी०ई०एफ०टी० विभाग  
एच०बी०टी०आई०, कानपुर।

8. प्रो० आर० पी० सिंह  
निदेशक,  
एच०बी०टी०आई०, कानपुर। सदस्य—सचिव

बैठक में निम्नोक्त सदस्य उपस्थित नहीं हो सके:

1. प्रो० आर० पी० सिंह  
मा० कुलपति  
लखनऊ विश्वविद्यालय  
लखनऊ। सदस्य
2. प्रो० एस० जी० धोंडे  
निदेशक,  
आई०आई०टी०, कानपुर। सदस्य
3. प्रो० योगेश सिंह  
स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी  
गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय,  
दिल्ली। सदस्य
4. प्रो० एस०सी० सक्सेना  
निदेशक,  
आई०आई०टी०,  
रूड़की (उत्तरांचल) सदस्य
5. प्रो० ए० घोश  
आचार्य,  
आई०आई०टी०, कानपुर। सदस्य
6. श्री दीपक सिंहानिया  
एम०डी० एल०एम०एल०,  
कानपुर। सदस्य
7. श्री जय चन्द्र बिमल  
ए०बी० नगर,  
उन्नाव। सदस्य

67.01 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 12.06.2007 को सम्पन्न हुयी 66वीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

परिषद् ने संस्थान की प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 12.06.2007 को सम्पन्न हुयी 66वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया।

67.02 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 12.06.2007 को सम्पन्न हुयी 66वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का विवरण।

परिषद् ने संस्थान की प्रशासकीय परिषद् की दिनांक 12.06.2007 को सम्पन्न हुयी 66वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का संज्ञान लिया और निम्नोक्त बिन्दुओं पर निर्देश दिए एवं कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

विचार बिन्दु संख्या 66.05 के अन्तर्गत प्रो० ए०के० मिश्रा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष के संयोजकत्व में गठित समिति से 15 दिवस में अन्तिम रूप से जॉच आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये एवं इसकी जानकारी परिषद् के माननीय सदस्यों को भी भेजने के लिए निर्देशित किया गया।

विचार बिन्दु संख्या 66.06 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही पर परिषद् द्वारा पटल पर रखी गई विषेशज्ञों की सूची का अवलोकन किया। इस विषय में निदेशित किया गया कि आवश्यकतानुसार इसे पुनः परिमार्जित करने हेतु पूर्व में गठित समिति की बैठक बुला कर सूची को परिमार्जित करा लिया जाय।

विचार बिन्दु संख्या 66.09 पर कृत कार्यवाही के अन्तर्गत परिषद् द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि सविता हाउसिंग सोसायटी भू-विवाद में भासन द्वारा गठित समिति से एक माह के भीतर आख्या प्रस्तुत करने हेतु कहा जाय।

विचार बिन्दु संख्या 66.11 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही हेतु परिषद् द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि निदेशक द्वारा इस सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को शीघ्र प्रेषित किया जाय।

विचार बिन्दु संख्या 66.16.3 पर कृत कार्यवाही के अन्तर्गत परिषद् द्वारा अपेक्षा की गयी कि उक्त कार्य हेतु गठित एकल सदस्यी समिति की बैठक करायी जाय और समिति की संस्तुति शासन को शीघ्र प्रेषित की जाय।

विचार बिन्दु संख्या 66.16.4 पर पारदर्शिता के दृष्टिगत अपेक्षा की गयी कि भविष्य में समितियों की रिपोर्ट संस्थान वेबसाईट पर भी दर्शायी जाय।

- 67.03 संस्थान को स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष व्यय, भौक्षिक सत्र एवं परिणामों की घोशणा तथा उत्तीर्ण छात्रों के सेवायोजन की स्थिति का विवरण।

परिशद के सम्मुख प्रस्तुत परीक्षाफल एवं उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत पर परिषद् द्वारा संतुष्टि व्यक्त की और साथ ही अपेक्षा की कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन हेतु एक स्वतन्त्र रूप से कार्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय तथा भविष्य में प्रत्येक विधा में छात्रों की संख्या को भी सारिणी में प्रदर्शित किया जाय।

- 67.04 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की भवन निर्माण समिति की दिनांक 20.09.2006 को सम्पन्न 52वीं बैठक तथा 02.08.2007 को सम्पन्न 53वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

परिशद के सम्मुख प्रस्ताव संस्थान की भवन निर्माण समिति की दिनांक 20.09.2006 को सम्पन्न 52वीं बैठक तथा 02.08.2007 को सम्पन्न 53वीं बैठक के कार्यवृत्त पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक से यह अपेक्षा की गयी कि संस्थान द्वारा जो भी नये निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं उनकी सूची सहित एक विस्तृत आख्या उनको शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

- 67.05 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की वित्त समिति की दिनांक 29.05.2007 को सम्पन्न हुयी 49वीं बैठक, दिनांक 15.09.2006 को सम्पन्न 50वीं बैठक तथा दिनांक 17.01.2007 को सम्पन्न 51वीं बैठक एवं दिनांक 10.09.2007 को हुयी 52वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुमोदन।

परिषद् द्वारा उक्त विचार बिन्दु के अन्तर्गत प्रस्तुत हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की वित्त समिति की दिनांक 29.05.2007 को सम्पन्न हुयी 49वीं बैठक, दिनांक 15.09.2006 को सम्पन्न 50वीं बैठक तथा दिनांक 17.01.2007 को सम्पन्न 51वीं बैठक एवं दिनांक 10.09.2007 को हुयी 52वीं बैठक के कार्यवृत्तों पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

67.06 श्री विपिन पाण्डेय, कैटलागर के पिता श्री एच0एन0 पाण्डेय को चिकित्सा पर हुए व्यय रू0 1,59,742.28 पैस की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में विचार।

श्री विपिन पाण्डेय, कैटलागर के पिता श्री एच0एन0 पाण्डेय को चिकित्सा पर हुए व्यय रू0 1,59,742.28 पैस की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में परिषद द्वारा नियमों के अन्तर्गत समयबद्ध रूप से उपरोक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

67.07 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को राष्ट्र के अग्रणी संस्थानों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के दृष्टिगत ढॉचागत सुविधाओं में प्रस्तावों पर विचार

परिषद् द्वारा संस्थान में ढॉचागत सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी और इसकी महती आवश्यकता भी बतायी गयी। इसी के क्रम में निदेशक से यह अपेक्षा की गयी कि वे ढॉचागत सुविधाओं हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव जिसमें विधावार शिक्षक-छात्र अनुपात में शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षणेत्तर कर्मियों की आवश्यकता तथा शैक्षिक भवनों की आवश्यकता सम्मिलित करते हुए शासन को प्रस्तुत करें।

67.08 संस्थान के बैकलॉग एवं रिक्त पदों को भरे जाने पर विचार।

परिषद् द्वारा कार्यवाही को नोट किया गया और रिक्त शिक्षकों के पदों को अति-शीघ्र चयन कार्यवाही सम्पन्न कर भरने हेतु निदेशित किया गया

साथ ही संस्थान के शिक्षणेत्तर कर्मियों के पदों को आवश्यकतानुसार पुर्नव्यवस्थित करते हुए प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने पर परिषद् द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान किया गया।

67.09 डा0 सौरभ अग्रवाल, चिकित्साधिकारी का त्यागपत्र स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त डा0 सौरभ अग्रवाल, चिकित्साधिकारी, एच0बी0टी0आई0, कानपुर द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

67.10 संस्थान में एल्युमनी एसोसिएशन, एच0बी0टी0आई0, कानपुर का गठन एवं सम्बन्धित गतिविधियाँ

परिषद् द्वारा कृत कार्यवाही को नोट किया गया और अपेक्षा की कि एसोसिएशन की सदस्य संख्या को बढ़ाने हेतु कार्यवाही की जाय। साथ ही दिनांक 24.09.2007 को संस्थान में एक कार्यक्रम कर परिषद् द्वारा अनुशंसित प्रशस्ति पत्र, मेडल मेधावी छात्रों को दिये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

67.11 हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की पूर्व में प्राप्त शैक्षिक स्वायत्तता की निरन्तरता के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई-दिल्ली द्वारा की जा रही कार्यवाही पर विचार।

संस्थान को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय से शैक्षिक स्वायत्तता हेतु परिषद् द्वारा अपना अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्थान को शैक्षिक स्वायत्तता की निरन्तरता हेतु समिति गठन एवं भविष्य में होने वाले संस्थान के निरीक्षण के सम्बन्ध में परिषद् को अवगत कराया गया। परिषद् द्वारा उक्त का संज्ञान लिया गया।

67.12 संस्थान को आवासीय विश्वविद्यालय का स्वरूप प्रदान किये जाने पर विचार

संस्थान को आवासीय विश्वविद्यालय का स्वरूप प्रदान किये जाने के प्रस्ताव परिषद् द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि संस्थान सर्वप्रथम "सेन्टर ऑफ़ एकसीलेन्स" का दर्जा प्राप्त करें और साथ ही साथ ढॉचागत सुविधाओं का विकास कर उत्कृष्टता लाये तत्पश्चात् परिषद् के सम्मुख आवासीय विश्वविद्यालय के स्वरूप हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

67.13 श्री विकास यादव, फिजीकल इन्स्ट्रक्टर के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के अनुसार फिजीकल इन्स्ट्रक्टर पदनाम को असिस्टेन्ट डायरेक्टर ऑफ़ फिजीकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स पदनाम किये जाने के अनुरोध पर विचार।

संस्थान के फिजीकल इन्स्ट्रक्टर का पदनाम परिवर्तित किये जाने के उपरोक्त प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा यह अपेक्षा की गयी कि उपरोक्त का प्रस्ताव शासन के विचार हेतु शासन को सन्दर्भित किया जाए जिससे कि शासनाधीन अन्य संस्थाओं में भी एक समान पदनाम हो सके।

- 67.14 संस्थान के आवश्यक सेवा के (पदस्थ) अन्तर्गत समावेष्टित कर्मचारियों को किराये में छूट प्रदान करने पर विचार

परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी सम्बन्धित शासनादेशों के साथ इसे परिषद् की अगली बैठक में रखा जाए और तब तक संस्थान में पूर्व में अनुमन्य व्यवस्था लागू रखी जाय।

- 67.15 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार

- 67.15.1 प्रो० आर०पी० सिंह को मे० के०एस० ऑयल लि०, मुरैना मे मानद स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक मण्डल में सम्मिलित होने की अनुमति पर विचार।

परिषद् द्वारा प्रो० आर०पी० सिंह को मे० के०एस० ऑयल लि०, मुरैना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मानद स्वतंत्र निदेशक के रूप में सदस्यता स्वीकार करने के प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया कि इससे संस्थान का कार्य प्रभावित नहीं होगा।

- 67.15.2 सेवाकाल में मृत्यू उपरान्त अशिक्षित मृतक आश्रित की नियुक्ति के प्रकरण पर विचार

परिषद् द्वारा उक्त का प्रस्ताव शासन को निर्णय हेतु प्रेषित किये जाने की अपेक्षा की गयी।

- 67.15.3 संस्थान के रिसर्च अस्सिस्टेन्ट (शोध सहायक) को पदनाम एवं ग्रेड दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार

परिषद् द्वारा गम्भीर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि शोध सहायकों के कैडर में अन्य प्रदेशों में चल रही व्यवस्था को दर्शाते हुये

प्रस्ताव शीघ्र ही कुलपति, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्रेषित करें।

- 67.15.4 संस्थान के संकाय सदस्यों को क्यू०आई०पी० के अन्तर्गत एम०टेक०/पी०एच०डी० करने हेतु सवेतन अध्ययन अवकाश स्वीकृति करने के प्रस्ताव पर विचार।

उक्त विचार बिन्दु के अन्तर्गत प्रशासकीय परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह सहमति बनी कि उक्त हेतु कुलपति, उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की एक सदस्यी समिति गठित की जाय जो पूर्ण रूपेण समस्त पहलुओं पर विचार कर अपनी आख्या दे और तदपश्चात् इसे संस्थान की अगली प्रशासकीय परिषद् की बैठक में रखा जाय।

- 67.15.5 शिक्षकों की अधिवर्षता पर सेवा विस्तार के साथ सत्रांत लाभ अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

परिषद् के सम्मुख प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। निदेशक से अपेक्षा की गयी कि देश के अन्य अग्रणी संस्थान जहाँ अधिवर्षता आयु 65 वर्ष और पुर्ननियुक्ति सहित 70 वर्ष की गयी है। उन संस्थानों में लागू व्यवस्था के समान व्यवस्था इस संस्थान में लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करें।

- 67.15.6 संस्थान के पश्चिमी प्रांगण स्थित कम्युनिटी सेन्टर के रखरखाव एवं धन उपार्जन हेतु किसी वाह्य संस्थान को चलाने हेतु दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार

परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अपनी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

- 67.15.7 श्री ब्रजेश सिंह (कटियार) पुत्र श्री शिव कुमार कटियार द्वारा फर्जी सेवायोजन/अनुभव के प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक आचार्य, बायोकेमिकल इंजी० के पद पर प्राप्त की गयी नियुक्ति के प्रकरण को निक्षेपित करने की वैधता एवं औचित्य के सम्बन्ध में

परिषद् द्वारा उपरोक्त पर गहन विचारोपरान्त निदेशक से यह अपेक्षा की गयी कि इस सम्बन्ध में एक समिति गठित कर उक्त प्रकरण पर मेसर्स

रायरू डिजटीलरीज लि0, ग्वालियर भेज कर उक्त का सत्यापन करा सात दिवस के भीतर अपनी आख्या भेजना सुनिश्चित करें।

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुयी।